बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

एम० एल० ए० क्लब नं० ८६
वीरचन्द पटेल पथ, पटना-८००००१

पत्रांक ... 990 | दिनांक ... 15 अप्रैल 1980

सेवा में,
श्री मान् महामहिम राज्यपाल महोदय,
बिहार , पटना ।

विषयः - कृषि श्रमिक के न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित कर बृध्दि करने एवं अमल में लाने के सम्बंद में

महाशय,

केन्द्रीय सरकार ने कृषि श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में बृध्दि कर 5.10 पैसे से 10.00 रु० प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया है ।

केन्द्रीय सरकार ने 1 मार्च 1980 को एक आज्ञप्ति जारी करके न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के अनुसार केन्द्र शासित राज्यों में 15% बृध्दि कर दि है ।

बिहार राज्य में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के अनुसार 1974-75 में पुनरीक्षित किया गया है ।

अतः मैं बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि :-

1. केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव एवं न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के अनुसार जीवनोपयोगी चीजों के मूल्यों में बृध्दि को ध्यान में रखते हुए 1974-75 में पुनरीक्षित मजदूरी की दरों में बृध्दि की जाय ।

2. मजदूरी पुनरीक्षित करने वाले परामर्शदात्री समितियों में खेत मजदूरों के ओर से बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों को लिया जाय ।

3. [illegible] निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था किया जाय ।

4. ''काम के लिये अनाज'' योजना में प्रतिदिन आठ घंटा काम करने पर 4 किलो अनाज मजदूरों को मजदूरी के रूप में दिलाने के लिए कृषि श्रम विभाग को सक्रिय बनाया जाय ।

आपका विश्वासी,

(यमुना वर्मा) 15/4/80
मंत्री , बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ।

प्रतिलिपिः - (1) निदेशक, कृषि परिश्रमिक विभाग , पटना
(2) महामंत्री, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन , नयी दिल्ली । को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(यमुना वर्मा)

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

कार्यालय-अजय भवन, लंगरटोली,
पटना-४
फोन : ५२२४६

अध्यक्ष :
श्री भोला प्रसाद,
एम० पी०

उपाध्यक्ष :
श्री भोला मांझी,
एम० पी०,
श्री हरिकेश्वर मिश्र

मंत्री :
श्री यमुना वर्मा

स० मंत्री :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु,
एम०एल०ए०,
श्री लोकनाथ आजाद,
एम०एल०ए०

कोषाध्यक्ष :
श्री लम्बोदर झा

पत्र संख्या ९१६

दिनांक ३०/७/६५

सेवा में -
श्री मुख्य मंत्री
अखिल भारतीय खेत मजदूर
यूनियन नयी दिल्ली।

विगत १५ जुलाई १९६५ के न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने सम्बन्धी सांकेतिक हड़ताल तथा १५/७/१९६५ को राज्य परिषद के बैठक का विवरण भेज रहे हैं।

[illegible]
मंत्री, बिहार
राज्य खेत मजदूर
यूनियन
३०/७/६५

कार्यालय

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

अजय भवन, लंगर टोली, पटना-४

ता०-२३-७-७५

राज्य परिषद के सभी सदस्यों,

एवं जिला मंत्रियों के नाम, परिपत्र न० २।७५

विषय:- १८-७-७५ को यूनियन के राज्य परिषद में लिए गये फैसला तथा उसके अनुसार आगे का कर्तव्य।

प्रिय साथी,

राज्य खेत मजदूर यूनियन के परिषद की बैठक १८-७-७५ को श्री भोला प्रसाद एम० पी० के अध्यक्षता में पटना काजीपुर स्थित पटना जिला कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में हुई।

कार्यवाही:- (१). राजगिर सम्मेलन के फैसलानुसार न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए १५ जुलाई को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल तथा सभा प्रदर्शन करना था। लेकिन आपातकालीन स्थिति के कारण सभा प्रदर्शन का कार्यक्रम बन्द कर दिया गया था। राज्य के निम्नलिखित जिले में एक दिन काम बन्द कर स्थानीय श्रम पदाधिकारी तथा श्रम निरीक्षक को मजदूरी दिलाने सम्बन्धी मांगपत्र दिये गये। राज्य के ओर से भी श्रम मंत्री को स्मार पत्र दिये गये।

जिलों का रिपोर्ट इस प्रकार प्राप्त हो सका

	जिला	गांव की सं० जहां काम बंद हुआ	बंदी में भागलेने वाले मजदूरों की संख्या।
१-	मुंगेर	१४०	३०००
२-	छपरा	५०	१००००
३-	नालन्दा	२०	४०००
४-	औरंगाबाद	१०	२०००
५-	सीतामढ़ी	१००	२००००
६-	समस्तीपुर	५२	१००००
७-	बेगुसराय	६३	१५०००

जिला सम्मेलन

ता० १७ और १८ जून १९७५ को भागलपुर जिला खेत मजदूर यूनियन का सम्मेलन ग्राम फंफरी अंचल शंभूगंज में और ता०-१२ और १३ जून १९७५ को सितामढ़ी जिला सम्मेलन परवाहा में सम्पन्न हुआ।

प्रस्ताव -(१) न्यूनतम मजदूरी मांगने के कारण ग्राम कुनमुड़िया (ठल) थाना हरलाखी। जिला मधुबनी के भूस्वामी मालिक श्री जीवछ सिंह वगैरह ने युगेश्वर कापर आदि खेत मजदूरों को बुरी तरह से मार कर घायल कर दिया गया।

नालन्दा जिला के नुरसराय अंचल मजदूरों से मालिक ने काम लेना बंद कर दिया है। (के पास स्थाई भाभा खेत मजदूर से)
क्योंकि मजदूर सरकारी कानून के हिसाब से मजदूरी की मांग ।

पेज--२

पे० 2 पर

अत: यह बैठक बिहार सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाते हुए मांग करती है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कारगर व्यवस्था किया जाय। और दोषी व्यक्तियों को सजा दिया जाय।

२---आपात कालीन स्थिति और यूनियन का फौरी कर्तव्य -

आपात कालीन स्थिति और २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का घोषणा जो प्रधान मंत्री के ओर से की गयी है उससे खेत मजदूरों के आन्दोलन तथा संगठन को संभावनायें बढ़ गयी है। अत: यह फैसला किया गया कि- ३० अगस्त १९७५ तक (क) संगठनात्मक:- राजगिर सम्मेलन तक यूनियन के बने सदस्यों के आधार पर यूनियन के विधानुसार ग्राम खेत मजदूर यूनियन का संगठन करे और ग्राम खे० म० सम्मेलन के चुने प्रतिनिधियों को लेकर अंचल सम्मेलन किया जाय। अंचल में खेत मजदूर यूनियन का काम करने वाला एक पूरा वक्ती कार्यकर्ता को चुना जाय और उसके काम करने के गारन्टी के लिए चंदा का व्यवस्था किया जाय। अंचल में यूनियन का कार्यालय खोला जाय। और कार्यवाही पुस्तिका, आमद खर्च पुस्तिका, सदस्यता पुस्तिका और मोहर होना जरूरी है।

ग्राम तथा अंचल सम्मेलन के सिलसिले में (ख) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के लिए गांव -गांव से धनी सूदखोर किसान के खिलाफ गरीब किसान से एकता कायम कर लेबर अफसर और स्थानीय लेबर या सर्कील इन्सपेक्टर के यहां दरखास्त दिया जाय और ८ आठ दिन के अन्दर फैसला करने के लिए जन दबाव डाला जाय। (

(ग) बिहार सरकार के ऋणमुक्ति कानून के अनुसार खेत मजदूरों के उपर महाजन तथा बड़े किसानों का कर्ज या कमी चूंकि रुपया समाप्त हो गया इसका प्रचार करना चाहिए और अंचल के ४-५ गांवों में जहां अधिक महाजनों सूद पर कर्ज दिया जाता है वैसे गांवों का चूनकर एक सूची बनाया जाय। सूची में कर्ज देने वाले महाजन-कर्ज लेने वाले का नाम पता -इस प्रकार चाहिये -

... रुपये मूलधन	(१) कर्ज देने वाले महाजन का नाम पता	(२) कर्ज लेने वाले का नाम पता-
	(३) कर्ज सूद के साथ कितना वापस लिया गया-	(४) बाकी रकम कितना है

कम सूद पर सरकार तथा बैंकों से कर्ज लेने के लिए एक ग्राम पंचायत में एक अभिक सहयोग समिति कायम किया जाय इसके लिए नियमावली -सहयोगी प्रेस पटना मधुबनी जिला कम्युनिस्ट पार्टी ओफिस, स्थानीय सहयोग समिति के रजिस्ट्रार, या राज्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) वासगीत जमीन का पर्चा :- जो खेत मजदूर या १ एकड़ से कम जमीन वाले व्यक्ति किसी दूसरे के जमीन पर घर बना कर रह रहे हैं और उनको अभी तक वासगीत जमीन का पर्चा नहीं मिला है तो अंचल खेत मजदूर यूनियन के और से एक लिस्ट बना कर स्थानीय

अंचलाधिकारी को दें। लिस्ट इस प्रकार होना चाहिये :- ग्राम का नाम :-

रैयत का नाम - . पिता का नाम - चौहद्दी उत्तर दक्षिण

लिस्ट का दो कोपी होना चाहिए एक कोपी पर पाने वाले अफसर से दस्खत करा लें।

(ङ) नया वास का जमीन:- गांव के धनी व्यक्तियों ने जहां सरकारी गैर मजरुआ दखल कर लिये हैं वहां उन्हें हटाने के लिए दरखास्त दिया जाय और जहां हम बस सकते हैं वहां बसने का व्यवस्था किया जाय। साथ ही एक सूची तैयार करें, जिनके पास बसने का जमीन नहीं है।

(च) ३१ दिसम्बर तक १ लाख ५० हजार सदस्य पूरा करने कोटा है जो ... र जिला को इस प्रकार कोटा दिया गया है। खेति का काम शुरु हो गया है। इस मौके पर यूनियन का सदस्यों भर्ती आसान से हो सकता है इसलिए अगस्त तक अपना आधा सदस्यता भर्ती का काम पूरा कर ले नहीं तो बाद में दीक्कत होगी।

	जिला -	सदस्यता कोटा -

पटना- १००००, गोपाल गंज- २०००, मुंगेर- १५०००, नालन्दा- ६०००, सिवान- ३०००
हजारीबाग-१०००, गया-६०००, पू० चम्पारण- ५०००, गिरिडीह- ५००, प० चम्पारण-५०००
रांची- ५००, औरंगाबाद- ५०००, दरभंगा-१००००, नवादा- ५०००, मधुबनी-१००००, सिंहभूम-१०००, भोजपुर-२०००, समस्तीपुर-६०००, रोहतास-२०००, बेगुसराय-१००००, दुमका-५००
मुजफ्फरपुर-१००००, खगड़िया-५०००, जामतारा-५००, सितामढ़ी-१००००, सहरसा-१००००, वैसाली-२०००, पुर्णियां-३०००, कटिहार-२०००, सारण-५०००, भागलपुर-१५०००

संगठन तथा आन्दोलन का काम एक ही साथ चलता है। जहां आन्दोलन होगा वहीं संगठन होता है। जहां संगठन होता है वहीं आन्दोलन होता है। इसी तरह से हमें यो योजना पूर्वक अपने काम को पूरा करना है। आपात कालीन स्थिति के कारण सभा जुलूस पर रोक हैं लेकिन हम अपना प्रतिनिधि का बैठक दलान या स्कूल में कर सकते हैं इस पर कोई पाबन्दी नहीं है।

सभी जिला यूनियन का रजिस्ट्रेड होना आवश्यक है। सभी जिला मंत्री इंचार्ज या जिनको यह काम सौंपा जाय वह साथी राज्य कार्यालय से निबंधन सम्बन्धी कागज प्राप्त कर और इसके लिए रजिस्टर्ड फीस ५० रुपया जमा करना होगा। रजिस्टर्ड जिला में ही हो जायेगा इसके लिए आप लेबर आफसर से पूछताछ कर सकते हैं। यह काम को प्रमुखता देना है। यूनियन द्वारा किये जाने कामों का रिपोर्ट राज्य कार्यालय में भेजते रहें।

आपका साथी

जमुना वर्मा 26/6/75

(जमुना वर्मा)

मंत्री, बिहार राज्य, खेतमजदूर यूनियन

नोट- आप अपने यहां के अंचल खेत मजदूर यूनियन के मंत्री और सभापति का नाम तथा पता सहित वापसी डाक से भेजें। जहां अंचल ऑफिस हो वहां अंचल ऑफिस का पता भेजें।

ता०-२२-७-७५

प्रकाशनार्थ:-
--------- पटना, २२ जुलाई१९७५, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के राजगीर (नालन्दा) सम्मेलन के फैसलानुसार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए राज्य के निम्नलिखित जिले खेत मजदूरों ने १५ जुलाई ७५ को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया जिसमें लगभग ४२५ गावों के ८९०००मजदूरों ने भाग लिया ।

आपात कालीन स्थिति के कारण सभा प्रदर्शन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था जिसके कारण खेत मजदूरों की आम बैठक कर स्थानीय अंचलाधिकारी श्रम पदाधिकारी श्रम निरिक्षक को:बिहार सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम मजदूरी दिलाने के लिये मांग पत्र दिये गये । राज खेत मजदूर यूनियन के ओर से भी बिहार सरकार के श्रम मंत्री का निर्धारित मजदूरी दिलाने के लिए शीघ्रता शीघ्र कारगर व्यवस्था करने लिए स्मारपत्र दिये गये ।

यूनियन के राज्य कार्यालय में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिले में इस हड़ताल में इस प्रकार मजदूरों ने भाग लिया ।

जिला	गांव की सं०जहां हड़ताल किये गये। -	हड़ताल में भाग लेनेवाले मजदूरों की संख्या
मुंगेर-	१४०	३००००
छपरा-	५०	१००००
नालन्दा-	२०	४०००
औरंगाबाद-	१०	२०००
सीतामढ़ी-	१००	२००००
समस्तीपु र-	५२	१००००
बेगुसराय	६३	१५०००

सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी मांगने के कारण मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड के मड़िया गांव के भूमिस्वामी श्रीजी सिंह वगैरह ने जुगेश्वर कापर आदि मजदूरों को बेहर्मी से ता० १४-७-७५ को मार कर घायल कर दिया इसका केश हरलाखी पुलिस थाना में किया गया है ।

नालन्दा जिला के नूरसराय प्रखंड के धारा रपुर्द, लरजमा के मजदूरों से काम लेना बंध कर दिया गया है । जिसके कारण मजदूर बेकार होकर भूखे मर रहे हैं ।

मंत्री ... २२/७/७५

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

अजय भवन, लंगरटोली, पटना-४ दिनांक २७-९-१९७५

विषय:- राजगीर सम्मेलन १२ जून १९७५ के बाद, खेत मजदूर यूनियन के ओर से किये गये कामों तथा खेत मजदूर आन्दोलन के संबंध में।

विगत १० ,१२ जून,७५ को राजगीर सम्मेलन के फैसलानुसार १५ जुलाई,७५ को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल कर न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मांग पत्र देना था। २६ जून के आपात स्थिति के घोषणा के कारण यूनियन के ओर से प्रदर्शन करने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया था। जिससे कुछ कार्य में भ्रम पैदा हो गया। फिर भी राज्य के ९ जिले के ५०० गांवों में १५ जुलाई को सांकेतिक हड़ताल किये जिसमें लगभग १ लाख ग्रामीण खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया।

आपात स्थिति और २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में १- खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी २- वास के जमीन का प्रबन्ध ३- हदबंदी से फाजिल जमीन का भूमिहीनों के बीच बंटवारा ४- कर्ज मुक्ति ५- बंधुआ प्रथा की समाप्ति आदि से ग्रामीण खेतिहर मजदूरों में सक्रियता आयी।

धान रोपा के समय पटना नालन्दा, मुंगेर, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर आदि जिलों में न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए यूनियन के ओर से सरकारी अधिकारियों को दर्खास्त देकर दो-चार दिनों का हड़ताल किया गया। इसमें यूनियन और सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप से करीब २०० गांवों में सरकारी दर पर या कुछ कम बेश कर समझौता से मजदूरी लेने में सफल रहे। लेकिन धान रोपा का काम समाप्त होने, और सूखा, के चलते खेति के काम बंद होने से कहीं-कहीं पुराना कम मजदूरी चालू हो गया है।

नालन्दा जिला के नुरसराय प्रखंड में फामा धारा जुई में मजदूरी के लिए अभी भी लड़ाई चल रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए पटना जिला के चार प्रखंडों से १०००

नालन्दा जिलों के ६ प्रखंडों से १५०० मुंगेर जिला के ४ प्रखंडों से २५०

औरंगाबाद जिला के ५ प्रखंडों से ५०० भागलपुर जिला के २ प्रखंडों से २००

दर्खास्त स्थानीय श्रम निरीक्षक प्रखंडाधिकारी के पास दिये गये हैं। जिसमें पटना जिला के मसौढ़ी धनरुआ से करीब २५ दर्खास्त न्यायालय में फैसला के लिए भेजा गया है।

<u>सरकारी प्रयास</u>:- ग्रामीण मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए बिहार सरकार के ओर से १ कृषि श्रमिक निदेशालय नया सचिवालय में खोले गये हैं। जिसके निदेशक रामनाथ शर्मा नियुक्त किये गये हैं। २- राज के ११९ श्रम निरीक्षकों में से ११४ को सभी कार्यों से मुक्त कर सिर्फ कृषि श्रमिकों के काम सौंपा गया है। ३- छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना जिले में जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कल्याण निरीक्षकों को श्रमिक निरीक्षक का भार सौंपा गया है। ४- खेत मजदूर के यूनियन के निबंधन का शक्ति श्रम अधीक्षक को दिया गया है। जिसमें आसानी और शीघ्रता पूर्वक यूनियन का निबंधन हो जाय।

५-

५- जहां श्रमि निरीक्षक नहीं है सभी जाह (छोटानागपुर प्रमंडल और संथालपरगना छोड़कर) सभी अंचल अधिकारी और अंचल निरिक्षक को श्रम निरिक्षक का काम सौंपा गया है।

६- भूमिसुधार उपसमाहर्ता को श्रम न्यायालय का पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कीये गये हैं जो कृषि श्रमिक विवादों का निपटारा करेगा।

७- राज्य स्तरीय कृषि श्रमिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो कृषि श्रमिकों तथा मालिकों के बीच उठे समस्याओं पर विचार कर राय देगी।

८- खेतिहर मजदूरों के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं का जिला तथा प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर चलाये जाने वाला है।

९-- नया निर्धारित न्यूनतम मजदूरी -रेडियो ,दैनिक समाचार पत्र नोटीस लाउडस्पीकर से किये गये हैं।

१०-- कोशी गंडक सोन, ~~कमला~~ कमांड क्षेत्र के न्यूनतम मजदूरी सघन रुप से लागू किया ~~जायेगी~~।

११- फार्म, बड़े जमीन मालिक का सूची बना कर सर्व प्रथम उनसे ही लागू कराने का आदेश दिया गया है। नहीं देने पर कानूनी कारवाई करने के लिए ~~सूचि~~ श्रम निरिक्षकों को आदेश दिये गये।

१२-- १६ से २१ अगस्त ,७५ को राष्ट्रीय श्रम संस्थान दिल्ली के ओर से ग्रामीण श्रमिक कार्यकर्ता शिक्षण शिविर चलाये गये जिसमें राज एवम् जिला स्तर के कृषि श्रमिकों के बीच काम करने वाले कांग्रेस के २४ और खेत मजदूर यूनियन के १५ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस शिविर का संचालन बिहार सरकार के श्रम विभाग के ओर किया गया।

यूनियन के ओर से कार्य:- इस संबंध में जो सम्भावनायें पैदा हुआ है उसका उपयोग संतोषजनक नहीं है। इसका प्रधान कारण - ग्राम के आधार पर यूनियन का संगठन नहीं होना तथा इस मोर्चे पर काम करने वाले साथियों को कानून के जानकारी का अभाव है। जिला एवम् अंचल स्तर पर शिविर का आयोजन करना होगा।

यूनियन का निबंधन छपरा ,रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, नवादा, सितामढ़ी, पू० चम्पारण, वैशाली सिवान और पटना जिला का दर्खास्त दाखिल किया गया है- बाकी जाह का सूचना नहीं है।

ग्राम खेत मजदूर यूनियन:- औरंगाबाद जिला के नबीनगर छतरपुर और ~~कोरआ~~ओबरा अंचल में गठित किया गया है।

नालन्दा जिला के - ~~सब~~ सरमेरा और राजगीर अंचल में।

मुंगेर जिला के - ~~सिसमा~~ सिकन्दरा और बरबीघा अंचल में गठित किया गया है।

राज्य परिषद के २०-९-७५ के बैठक में फैसला किया गया है कि अक्टूबर माह से संगठन माह मनाया जाय। इस माह के अन्दर सदस्यता भर्ती का कोटा ३३% पूरा कर लिया जाय। जहां यूनियन के सदस्य बने हैं। वहां ग्राम खेत मजदूर यूनियन में संगठित किया जाय।

सेवा में:- श्री पी० के० कोडियन, महामंत्री, अ० भा० खेत मजदूर यूनियन
अजय भवन, कोटला मार्ग, नयी दिल्ली।

मंत्री, बिहार राज्य परिषद, भा० कम्युनिस्ट पार्टी, अजय भवन, लंगरटोली, पटना

आपका साथी

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन
अजय भवन, लंगरटोली, पटना-४ दिनांक २७-६-१६७५।

राज्य परिषद के सभी सदस्यों एवम् जिला मंत्रियों के नाम:-

सरकुलर सं० --- २०२

विषय:- २०-६-७६ ७५ के राज परिषद के बैठक का रिपोर्ट और आगे के कार्य के लिए आवश्यक निर्देश।

प्रिय साथी,

दिनांक २०-६-७५ को राज खेत मजदूर यूनियन के परिषद की बैठक श्री भोला प्रसाद एम०पी० के सभापतित्व में एम०एल०ए० क्लब पटना में हुई।

बैठक में निम्नलिखित फैसले लिए गये हैं। अत: आप अपने क्षेत्र के ज़िला अंचल खेत मजदूर यूनियन के बैठक कर योजना बना कर अमल करें, और इसका लिखित रिपोर्ट डाक से राज कार्यालय के पास भेजें। जिसमें समय पर राज कार्यालय से मदद आपको मिल सके।

फैसला:- बाढ़ और सूखाग्रस्त-- पिछले दिनों गंगा, सोन, पुनपुन, कोशी, बागमती, कमला, बलान, गंडक, बुढ़ीगंडक बाघमती, अधवारा, और सिकहरना नदियों में भीषण बाढ़ के कारण २८ जिला के २२८ प्रखंडों में लगभग सवा करोड़ लोगों पर दुखदायी असर पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में धन जन के अलावे तैयार मकई मडुआ की फसल पुरी तरह नष्ट हो गयी। जब तक इन क्षेत्रों में रब्बी का फसल नहीं होता है तब तक के लिए खास कर गरीब किसान और खेत मजदूर को घोर संकट का जीवन बिताना होगा। पटना शहर में बाढ़ के पानी से झुग्गी झोपड़ी तथा कच्चा मकान नष्ट हो गये। जिन्हें फिर से बसाना होगा। सरकारी और गैर सरकारी सहायता भी दूर देहात के गरीबों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे राज के नालन्दा, नवादा, दक्षिण मुंगेर, रोहतास, हजारीबाग, संथालपरगना में अनावृष्टि के कारण धान का रोपा पूरा नहीं हो सका है। और जहां रोपा हो गया है वहां भी खेत में पानी नहीं है खेति का काम बन्द हो जाने के कारण मजदूरों में बेकारी बढ़ रही है।

बैठक में फैसला (निश्चय) है कि बाढ़ से पीड़ित (खेत) मजदूरों जिनका मकान बर्बाद हो गया है उनका सूची बनाकर स्थानीय अधिकारियों को दिया जाय और एक प्रति अपने अंचल और जिला रिलिफ कमेटी के सदस्यों को भी दे जो कि सरकारी और गैर सरकारी सहायता दिलाने में सक्षम हो सके। जरूरत पड़ने पर प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से मिलकर इस ओर ध्यान दिलाये।

जहां खेत मजदूरों को काम नहीं मिलता है वहां कठिन श्रम योजना बनाकर अधिकारियों से मिले, यह योजना खेतमजदूर यूनियन या खेत मजदूरों के कमिटी बनाकर किया जाय। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि सरकार द्वारा दिये गये रेट मजदूरों का आवश्य मिले।

२-- न्यूनतम मजदूरी -- आपात स्थिति और २० सूत्री कार्यक्रम के न्यूनतम मजदूरी कड़ाई से दिलाने के लिए जोर देने से सरकार की ओर से भी सक्रियता आयी है। बिहार सरकार के ओर से इसके लिए एक अलग से निदेशालय नया सचिवालय में खोले गये हैं। सभी श्रम निरिक्षकों को यह काम मुस्तैदी से करने के लिए आदेश दिया गया है।

१३-सिवान	३०००	१५पू०चम्पारण	५०००	१६-प०चम्पारण	५०००
१६-दरभंगा	१००००	१७-मधुबनी	१००००	१८ समस्तीपुर	१००००
१६-बेगुसराय	१००००	२०-खाड़िया	५०००	२१-सहरसा	१००००
२२-पूर्णिया	३०००	२३-कटिहार	२०००	२४-भागलपुर	१५००००
२५-मुंगेर	१५०००	२६-हजारीबाग	१०००	२७-रांची-पलामू	५०००
२८-गिरिडीह	५००	२६-सिंहभूमि	१०००	३०-देवघर	५००
३१-जामतारा	५००				

प्राप्त रिपोर्टके अनुसार औरंगाबाद, मधुबनी, सीतामढ़ी, के सिवा कहीं भी सदस्यता भर्ती का काम शुरु नहीं किया। जबकि दिसम्बरतक यह कोटा पूरा करना है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि १ अक्टूबर से ३० अक्टूबर तक संगठन माह मनाया जाय और इस माह में ३३ प्रतिशत सदस्यता भर्ती का काम अवश्य पूरा किया जाय। जहां पिछले साल सदस्य बने हैं वहां नवीकरण के साथ-साथ ग्राम खेत मजदूर यूनियन का गठन यूनियन के विधानानुसार कर राज को शीघ्र डाक से रिपोर्ट भेजे। और सदस्यता फीस राज का कोटा भेजे।

५-निबंधन:- यूनियन के निबंधन संबंधी सभी कागज और हिदायते सभी जिला को भेजा गया है। लेकिन अभी तक रोहतास, मुंगेर, पटना, नवादा, सीतामढ़ी, पू०चम्पारण, बैशाली, भोजपुर, छपरा, सिवान, में दरखास्त दियेगये हैं। बाकी का कोई सूचना नहीं है।

परिषद ने फैसला किया है कि सभी जिला यूनियन का निबंधन करा कर निबंधन संख्या राज केन्द्र के पास भेज दे यहा काम अक्टूबर माह में पूरा हो जाना है। इस संबंध में आने वाले कठिनाइयां से राज कार्यालय को जानकार करायें।

राज कार्यालय से समय-समय पर बैठक का रिपोर्ट और परिपत्र तथा निर्देश भेजे जाते रहेहैं। लेकिन भागलपुर, और सीतामढ़ी को छोड़कर कोई भी जिला से लिखित रिपोर्ट राज केन्द्र को नहीं मिल पाता है। अत: सभी जिला मंत्रियों और परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि अपने इलाके का विवरण डाक द्वारा राज कार्यालय को भेजे। जिससे बैठक में पेश करने के लिए लिखित रिपोर्ट तैयार किया जा सके।

बिहार सरकार के श्रम विभाग के ओर से जिले में कार्यकर्ताओं के लिए परिशिक्षण शिविर चलाये जाने वाले हैं। हमलोग को इसके लिए श्रम अधिकारक कार्यालय से संबंध कायम रखना चाहिये।

साभिवादन के साथ

आपका साथी-

जमुना वर्मा 24/9/82

(यमुना वर्मा) मंत्री,

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

अजय भवन, लंगरटोल
पटना-४

पत्रांक ...113/65

दिनांक ३०.६.७५ १९७

सेवा में,

श्री मंत्री जी,

अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन,

नयी दिल्ली।

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के कार्य समिति की बैठक दिनांक २३-६-७५ को अजय भवन, पटना में हुई।

बैठक में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के फैसला के अनुसार आगामी १५ जुलाई ,७५ को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल तथा सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम मजदूरी हासिल करने वास्ते प्रत्येक अंचल में प्रदर्शन और आम सभा करने का योजना बनाये गये हैं।

बैठक में लिए गये फैसले का प्रतिलिपि संलग्न है।

आपका विश्वासी-

(signature) 30/6/75

मंत्री, बिहार राज्य खेत

मजदूर यूनियन, बिहार।

परिपत्र:-　　　　　　　　　　　　　　　　　　कार्यालय बिहार राज खेत मजदूर यूनियन
सभी जिला मंत्रियों एवम्　　　　　　　　　　　अजय भवन, लंगरटोली, पटना-४
राज परिषद के सदस्यों के नाम:-　　　　　　　दिनांक २५-६-१९७५।

विषय:- राज खेत मजदूर यूनियन के कार्यकारिणी के ता० २३-६-७५ के बैठक के फैसला तथा १५ जुलाई को न्यूनतम मजदूरी के लिए राज व्यापी हड़ताल एमव् प्रदर्शन के संबंध में।

प्रिय साथी,

२३-६-७५ के राज खेत मजदूर यूनियन के कार्यकारिणी की बैठक में फैसला किया गया है कि १ जुलाई से राष्ट्र व्यापी भूमि मुक्ति अभियान चलाये जाने वाला है उसमें खेत मजदूर यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा आदि जन संगठनों के साथ सक्रिय रुप से भाग लें।

मसौढ़ी धनरुआ तथा फुफुन अंचल (पटना) के इलाके के खेत मजदूर कार्यकर्ता का बैठक कर उस इलाके के समस्याओं पर विचार किया जाय।

भोजपुर पटना और नालन्दा जिला में नक्सलवादी तथा अपराधी कर्मियों के रोकने के नाम पर खेत मजदूरों पर पुलिस और इलाके के सामंतों द्वारा जो अत्याचार किये जा रहे हैं उस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल २८-६-७५ को मुख्य मंत्री से मिला जाय।

१२ और १३ जुलाई को सीतामढ़ी जिला सम्मेलन किया थाना के परबटा गांव में, और भोजपुर जिला सम्मेलन २७ जून को इटाढ़ी थाना के इन्दौर गांव में होगा। सम्मेलन में क्रमश: भोला प्रसाद एम०पी० और चन्द्रदेव प्रसाद हिमांशु एम०एल०ए० जायेंगे।

निम्नतम मजदूरी हासिल करो आन्दोलन

अखिल भारतीय खे०म०य०और राजगीर सम्मेलन के फैसला नुसार १५ जुलाई को राजव्यापी १ एक दिन का सांकेतिक हड़ताल कर लेबर अफसर या बी०डी०ओ० के सामने प्रदर्शन कर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने का मांग किया जाय। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी १५ मार्च १९७५ के बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया है। इस गजट का कौपी या लिस्ट लेबर अफसर अंचला धिकारी और सर्किल इन्सपेक्टर से मिल कर हासिल किया जा सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और मजदूर बढ़ाने के लिए आन्दोलन पर विचार करने के लिए निम्नांकित जिले में इस प्रकार बैठक रखा गया और उसके लिए कार्यकारिणी के सदस्यों को इस तरह जबावदेही सौंपा गया। आप भी इस बैठक का सफल बनाने में पूरा प्रयास करें।

खगड़िया		भोला प्रसाद
मुंगेर	२७-६-७५	यमुना वर्मा, भोला मांझी
नालन्दा	६-७-७५	चन्द्रदेव प्र०और कृष्णवल्लभ
सहरसा	६-७-७५	जनार्दन पांडेय
सीतामढ़ी	८-७-७५	हरिकेश्वर मिश्र
मधुबनी-दरभंगा		लम्बोदर झा

भोजपुर	लालबिहारी
सारण	रामेश्वर शर्मा

बाकी आप अपने जिला में खेत मजदूर कार्यकर्ताओं का विस्तारित बैठक कर योजना पर विचार करें। न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के लिए इलाके इलाके में खेत मजदूर कार्यकर्ताओं का विस्तारित बैठक रखा जाय। बैठक में वैसे भी खेत मजदूर कार्यकर्ताओं को शरीक किया जाय जो किसी भी पार्टी से संबंधित हो या नहीं हो। इस प्रकार के बैठक में मजदूर बढ़ाने संबंधी आन्दोलन पर विस्तारित चर्चा हो। जिसमें सभी लोग सक्रिय रूप से भाग ले और उसमें योजना बनायी जाय।

प्रत्येक पंचायत में एक दो बड़े भूमिस्वामी को चुना जाय जो कि सबसे कम मजदूरी देते हैं और तरह तरह से मजदूरों पर जुल्म करते हैं उनके खिलाफ जम कर लड़ाई चलाया जाय। वैसे लोगों के खिलाफ काम के समय लगातार हड़ताल करने से १५ दिन पहले ग्राम खेत मजदूर यूनियन के ओर से हड़ताल करने का नोटिश अंचलाधिकारी, सर्किल इन्सपेक्टर लेवर अफसर और लेवर इन्सपेक्टर को दे दिया जाय। जिससे बाद में कानूनी मदद मिले।

जहां हड़ताल करने में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, वहां बड़े जमीन मालिक के खिलाफ गरीब किसानों के साथ एकता बनाकर न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए लेवर अफसर के पास दरखास्त दिलाये। दरखास्त देने का सबूत रखना जरूरी है।

प्रदर्शन हड़ताल संबंधी नोटिश नमूना के तौर पर भेजा जा रहा है। अत: आप अपने इलाके में इसी आशय का नोटिश छपा लेंगें।

आन्दोलन संबंधी योजना जो आप बनावेंगे उससे राज कार्यालय को शीघ्र अवगत करावे जिसमें समय पर आपको सहायता दिया जा सके।

१९७५ के दिसम्बर तक यूनियन के सदास्यता भर्ती का कोटा इस प्रकार तय किया गया है।

१-पटना	१००००	१४-पू०चम्पारण	५०००		
२-नालन्दा	६०००	१५-प०चम्पारण	५०००		
३-गया	६०००	१६-दरभंगा	१००००		
४-औरंगाबाद	५०००	१७-मधुबनी	१००००		
५-नवादा	५०००	१८-समस्तीपुर	६०००		
६-भोजपुर	२०००	१९-बेगुसराय	१००००		
७-रोहतास	३०००	२०-खगड़िया	५०००		
८-मुजफ्फरपुर	१००००	२१-सहरसा	१००००		
९-सीतामढ़ी	१००००	२२-वैशाली	२०००		
१०-सारण	५०००	२३-कटिहार	२०००		
११-गोपालगंज	२०००	२४-पूर्णिया	३०००	२९-सिंहभूमि-	१०००
१२-सिवान	२०००	२५-भागलपुर	१५०००	३०-देवघर	५००
१३-मुंगेर	१५०००	२६-हजारीबाग	१०००	३१-जामतारा	५००
२७-गिरिडीह	५००	२८-पलामू	५००		

आपका साथी,

(यमुना वर्मा) मंत्री

बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हासिल करने के वास्ते १५ जुलाई को एक दिन का राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल तथा प्रत्येक प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन और आमसभा करने के लिए

बिहार राज्य खेतमजदूर यूनियन का आह्वान

भाइयो,

पिछले दिनों लगातार लड़ाई तथा आन्दोलन के फलस्वरूप बिहार सरकार ने खेतो में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में पुनरीक्षण कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, जो कि बिहार गजट असाधारण अंक १५ मार्च, १९७५ में प्रकाशित किया गया है। इस निर्धारित मजदूरी को मजदूरों को दिलाने के लिये सभी लेबर अफसर, इन्सपेक्टर, कलक्टर, एस० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और सर्किल इन्सपेक्टर को सरकार की ओर से विशेष आदेश भी दिये गये हैं।

परन्तु हम गाँव के खेत-मजदूरों को अभी तक सरकारी मजदूरी दिलाने के लिये इन अफसरों द्वारा कोई भी कारगर प्रबन्ध नहीं किया गया है और वर्षों पुराने दर से कम मजदूरी पर आधा पेट खाकर काम करने के लिये मजबूर किये जा रहे हैं।

बिहार राज्य खेत-मजदूर यूनियन का छठा सम्मेलन १० से १२ जून, १९७५ राजगीर के फैसलानुसार ता० १५ जुलाई, १९७५ को आप तमाम खेत-मजदूर गाँव-गाँव में संगठित होकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करें। उस दिन अपना सभी काम बन्द कर लेबर अफसर या अंचलाधिकारी के सामने जोरदार प्रदर्शन करें और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिये मांग पेश करें।

अपने इलाके के बड़े जमीन-मालिकों को चुनकर जो कम मजदूरी देते हैं तथा मजदूरों पर तरह-तरह से जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ गरीब किसानों के साथ एकता बनाकर हड़ताल की तैयारी करें जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी हासिल कर सकें।

सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:

पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण के लिये—

क्रम सं०	कृषि कार्य का नाम तथा कर्मचारियों की कोटि	निम्नतम मजदूरी
१.	जोतना, बाँध बाँधना, बोना—निकौनी करना	३ कीलो ५०० ग्राम धान और ३०० ग्राम सत्तू।

मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिला के लिये—

१. जोतना बाँध बाँधना, बोना—३ कीलो २५० ग्राम धान प्रतिदिन।

२. कोरनी अथवा कुदाली का काम—	२ कीलो धान प्रति एक कट्ठा।
३. उखाड़ना और रोपना—	४ कीलो धान प्रतिदिन

सारण, सीवान और गोपालगंज के लिये :—

१. जोतना, बाँध बाँधना, बोना, उखाड़ना, रोपना, निकौनी करना—	२ कीलो ७५० ग्राम धान, ३०० ग्राम सत्तू प्रतिदिन

हजारीबाग, गिरिडीह, राँची, सिंहभूमि तथा धनबाद जिला के लिये :–

१. जोतना, बाँध बाँधना— उखाड़ना, रोपना— हेंगा देना	४ कीलो ग्राम धान और ५०० ग्राम चावल या चूड़ा, मूढ़ी या सत्तू प्रतिदिन

पूरे पटना प्रमण्डल के लिये :—

१. जोतना, बाँध बाँधना,— बोना, निकौनी करना	२ कीलो ५०० ग्राम चावल या गेहूँ या चना, ३ कीलो ७५० ग्राम धान या ३ कीलो मकई और ६०० ग्राम सत्तू प्रतिदिन
२. उखाड़ना (एक कट्ठा— धान के लिये)	५ कीलो चावल या गेहूँ या ७ कीलो ५०० ग्राम धान या ६ कीलो मकई तथा १ कीलो २०० ग्राम सत्तू
३. रोपना	३ कीलो चावल या गेहूँ या चना या ४ कीलो ५०० ग्राम धान या ४ कीलो मकई तथा ७५० ग्राम सत्तू प्रतिदिन

भागलपुर प्रमण्डल के लिये :—

१. जोतना, निकौनी करना,— पौधा रोपना	२ कीलो ७५० ग्राम धान और ५०० ग्राम सत्तू प्रतिदिन
२. एक कट्ठा जमीन उखाड़ने— (कोड़ने) के लिये	५ कीलो ७५० ग्राम धान और १ कीलो सत्तू

नगद मजदूरी सिंचित क्षेत्र में ५ रुपये और असिंचित क्षेत्र में ४ रुपये ५० पैसे तथा एक शाम भोजन से कम नहीं होगा।

नोट :–कोशी और तिरहुत कमिश्नरी का पुनरीक्षण नहीं किया गया है इसलिये उन क्षेत्रों में पुनरीक्षण करने के लिये माँग करनी चाहिये।

निवेदक,
मंत्री, बिहार राज्य खेत-मजदूर यूनियन

यतीन प्रेस, लंगरटोली, पटना-४